

391 (112)



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (Hqrs.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110016.

फैक्स : 26514179 फोन : 26858570

18, Institutional Area, Shafteed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

FAX: 26514179 PHONE : 26858570

Website : www.kvsangathan.nic.in

F. No. 110118-1/2015-KVS (HQ)/Works/A/Cs (TR 12)(R)

Dated: 25/08/2018

The Principal,
Kendriya Vidyalaya No-1

अरमापुर (इतर प्रदेश)

Subject: Release of fund for construction of School Building/Boundary wall/Staff Quarter/Additional Class Room/Multipurpose Hall/Ramp/Special Repair of Staff Quarters.

Sir/Madam,

I am to refer to this office order No. 110116-45/75-KVS/HQ/WK-II dated 19/04/2018 vide which Final installment of fund amounting to Rs. 38,77,000/- was released for the aforesaid construction/repair works, In this connection, I am to inform you that the said amount has already been remitted by e-transfer/through RTGS by Budget & Accounts section of KVS(HQ) in RO/School Bank Account.

02. You are therefore requested to reconcile bank account & deposit the amount with the construction agency under intimation to this office.
03. In case major works of school building, staff quarters, additional classrooms and the installments being the first installment, the following documents may be obtained from the construction agency for record and reference of the Vidyalaya.
 - (a) Two sets of Preliminary drawings/Estimates based on which AA&ES issued.
 - (b) Set of detailed Architectural Drawings/Structural Drawings/Detailed estimate, Soil Survey report and other documents required in respect of Major Projects like SB/SQ/Additional classrooms/RO/ZIET etc.
04. In respect of other works, the amount can be withhold in case of
 - (a) The recommendation of Vidyalaya Monitoring Committee or Chairman, VMC
05. Wherever the funds are not being deposited, you may inform immediately to KVS (HQ) with the facts/details and reasons for such an action.

Yours faithfully,

Spec for info
for info
31.05.18

[Signature]
I/C Section Officer (Works A/Cs)

Copy forwarded for information and necessary action to:

01. The Deputy Commissioner, KVS, R.O, Lucknow
02. The Executive Engineer/Garrison Engineer/Project Manager _____
03. Concerned Executive Engineer/Technical Officer in Works Branch.
04. Concerned file of construction agency.

को वि० क्र०-1, अरमापुर गानपुर
पत्र प्राप्ति दिनांक... 31/5/18 ...
पत्र क्र० 112 पंजीयन सं० 229

[Signature]
I/C Section Officer (Works A/Cs)



391 112
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (Hqrs.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जॉत सिंह मार्ग, नई दिल्ली -110016.
फैक्स : 26514179 फोन : 26858570
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016
FAX: 26514179 PHONE : 26858570
Website : www.kvsangathan.nic.in

पत्रांक: 110116-45/75-KVS/HQ/WK-II

दिनांक: 19.04.2018

✓ प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय न. 1,
अर्मापुर (उत्तर प्रदेश)

विषय: केन्द्रीय विद्यालय न.1, अर्मापुर (उत्तर प्रदेश) के Structural/Special Repair of Staff qtrs. (21 Nos.) कार्यों के लिए निधियों की संस्वीकृति।

संदर्भ: उपा. पत्रांक 26116/2017-18/आरओ लखनऊ / 14864 दिनांक 31.10.2017.

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्र के संदर्भ में MES द्वारा प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के लिये ₹ 38.77 लाख (₹ अठतीस लाख सतत्तर हजार मात्र) के लिए सक्षम अधिकारी, के०वि०सं०(मुख्यालय) की प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति (AA & ES) प्रदान की जाती है।

02. इस कार्य हेतु अनुमोदित निर्माण इकाई MES है।
03. इसके साथ-साथ उपर्युक्त कार्य के लिए ₹ 38.77 लाख (₹ अठतीस लाख सतत्तर हजार मात्र) की राशि पूर्ण किस्त के रूप में अवमुक्त करने की सक्षम अधिकारी, के०वि०सं० की अनुमति भी प्रदान की जाती हैं।
04. ₹ 38.77 लाख (₹ अठतीस लाख सतत्तर हजार मात्र) का आवश्यक डिमांड ड्राफ्ट के०वि०सं० के लेखा अनुभाग द्वारा निर्माण इकाई को जमा करवाना हेतु अलग से भेजा जा रहा है। आप इसे शीघ्र जमा करवाकर जानकारी के०वि०सं० (मुख्यालय) को भी दें।
05. यह कार्य की प्रारम्भ होने की तारीख से 52 सप्ताह के अंदर इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए।
06. अगली किस्त की राशि आपके द्वारा विधिवत, प्रतिहस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।
07. उक्त संबंध में यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तावित विशिष्ट मरम्मत कार्य स्वीकृत राशि के अर्न्तगत ही यथाशीघ्र निर्धारित अर्द्ध में पूरा किया जाए। इस संबंध में निर्माण एंजेंसी से निरन्तर संपर्क रखा जाए और निर्माण कार्य पूरा होने तक विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित की जाए। बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधितों को उचित कार्यवाही हेतु भेजे जाए।


Office
R. O. Discom M.
M.

के० वि० क्र०-1, अर्मापुर लखनपुर
पत्र प्राप्ति दिनांक 25/4/18
फाइल क्र० 11 पजीयन सं० 62

हस्ताक्षर

08. किसी भी स्थिति में निधि का उपयोग नियमित मरम्मत के लिए ही किया जाए।
09. प्रयोग की जाने वाली सामग्री एवं कर्म-कौशल की दृष्टि से कार्य की गुणवत्ता **MES** के अपेक्षित मानकों के अनुसार ही होनी चाहिए।
10. कार्य के पूर्ण होने पर, कार्य की पूर्णता विवरणी एवम् समापन लागत विवरण, अप्रयुक्त सामग्री आदि का क्रेडिट, देते हुए (यदि है तो), पूर्ण कार्य की फोटोग्राफ के साथ कार्य का लेखा समायोजन केन्द्रीय विद्यालय संगठन के फारमैट में भिजवाया जाना अपेक्षित है।
11. यह व्यय 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य (राजस्व बजट 2017-18 के अर्न्तगत) लेखाशीर्ष के नाम डाला जाएगा तथा अवमुक्त राशि का (78.8 %) ₹ 30.55 लाख सामान्य वर्ग, (21.1 %) ₹ 8.18 लाख SC एवं (0.1 %) ₹ 0.04 लाख ST वर्ग के नाम में ब्युक्त किया जायेगा।

भवदीय,


19/04/2018

(ई० बा०.बा०.एस. पचौरा)
अधिशाली अभियन्ता

प्रतिलिपि:-

01. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
02. The Garrison Engineer, MES, B/R Fy Kalpi Road, Kanpur - 208009
03. लेखानुभाग (01 प्रति) को धनराशि शीघ्रतम जारी कराने हेतु।
04. व्यय नियंत्रण रजिस्टर।

अधिशाली अभियन्ता